

03-राशन कार्ड संशोधन/नये यूनिट जोड़ने सम्बन्धी फार्म

राशनकार्ड क्रमांक	
आवेदक/राशन कार्डधारक का नाम	
आवेदक का मो0 नम्बर	
संशोधन/नये यूनिट जोड़ने का कारण	
जिला	
ब्लॉक/निकाय	
ग्राम पंचायत/नगर क्षेत्र का नाम	
उचित दर विक्रेता का नाम	

- उद्घोषणा**—मेरे द्वारा उपरोक्त दी गयी समस्त सूचनाएं सही हैं तथा मेरे द्वारा दी गयी उपरोक्त सूचनाओं में यदि कोई सूचना गलत अथवा भ्रामक पायी जाती है तो उसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं मेरा होगा।

आवेदक/राशन कार्ड मुखिया  
के हस्ताक्षर/निशानी अंगूठा।

- 
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
  - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।